१२.०७.२०२२

पत्रावली पेश हई। अभियुक्तगण आयुष शर्मा, मनीष जाटव, सुनील जाटव एवं ओमप्रकाश उर्फ लंबू व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, जब कि मुखिया अनुपस्थित है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनांक ३०.०९.२०१९ से नियत चल रही है, किन्तु अभियुक्तगण की व्यक्तिगत उपस्थिति न होने के कारण आरोप विरचन नहीं हो पा रहा है। अतः अभियुक्त मुखिया जरिए अजमानतीय अधिपत्र एवं नोटिस जामिनदार दिनांक ०४.०८.२०२२ के लिए तलब हो। अभियुक्त मुखिया का अजमानतीय अधिपत्र एवं उसके जामिनदारों को नोटिस पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को पत्र के साथ अभियुक्त मुखिया को गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित किया जाए। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक ०४.०८.२०२२ को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।